RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक ४] बुधवार, मार्च ११, २०१५/फाल्गुन २०, शके १९३६ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ७

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक ११ मार्च २०१५ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. V OF 2015.

A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA
UNIVERSITIES ACT, 1994.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ५, सन् २०१५।

महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ में अधिकतर संशोधन संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है और, इसलिए, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ प्रख्यापित किया जाता है ;

सन १९९४ का महा. ३५। सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ४ ।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतदद्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

(२) यह ४ मार्च २०१५ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९९४ का महा. ३५ की धारा १२ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा १२, की उप-धारा (७) में, " बारह महिने से अनधिक पदावधि के लिये " शब्दों के स्थान में, " अठारह महिने से अनधिक पदावधि के लिये " शब्द रखे जायेंगे । सन् १९९४ का महा. ३५ ।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ४ का निरसन और व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ४ ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत किसी बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ (सन् १९९४ का महा. ३५) की धारा १२, कुलपति की नियुक्ति के लिये उपबंध करती है । उक्त अधिनियम की उक्त धारा १२ की उप-धारा (७), कुलाधिपति को, उसमें अधिकथित परिस्थितियों के अधीन, किसी यथोचित व्यक्ति को, कुल बारह महीने से अनधिक अवधि के लिये कुलपति के रूप में कार्य करने हेतू नियुक्त करने के लिये सशक्त करती है ।

२. सरकारी अधिसूचना दिनांकित २७ सितम्बर २०११ द्वारा नियुक्त गोंडवना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति अर्धवार्षिकी के कारण, ५ मार्च २०१४ को निवृत्त हुए थे । गोंडवना विश्वविद्यालय की प्रबंध परिषद और अकादमिक परिषद विभिन्न कारणों के कारण शीघ्रतम गठित नहीं की जा सकने के कारण कुलपति के पद के लिये यथोचित नामों की सिफारिश के लिये छानबीन समिति का गठन नहीं किया जा सका । इसलिए, इन परिस्थितियों के अधीन सम्माननीय कुलाधिपति ने, ६ मार्च २०१४ को कार्यकारी कुलपति की नियुक्ति की है । धारा १२ की उक्त उप-धारा (७) द्वारा यथा उपबंधित उक्त कार्यकारी कुलपति की पदावधि, ५ मार्च २०१५ को अवसित होगी । आरंभ से प्रबंध परिषद और अकादमिक परिषद के गठन की प्रक्रिया काफी अधिक समय लेनेवाली होगी । ऐसे में, सद्य भविष्य में, उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करना संभव नहीं होगा ।

३. इसलिए, महाराष्ट्र सरकार, उक्त उप-धारा (७) में उपबंधित, उक्त अवधि को बढ़ाना इष्टकर समझती है, ताकि यह उपबंध किया जा सके कि, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ के यथोचित संशोधन द्वारा, कुल मिलाकर अठारह महीनों से अनधिक पदावधि के लिए कुलपति के रूप में कार्य करने के लिये किसी यथोचित व्यक्ति की नियुक्ती कर सकें ।

४. क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ (सन् १९९४ का महा. ३५) में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ४), ४ मार्च २०१५ को प्रख्यापित हुआ था ।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुम्बई,
दिनांकित ९ मार्च २०१५।

विनोद तावडे,
उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री ।

(यथार्थ अनुवाद)
स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुम्बई,
दिनांकित ११ मार्च २०१५।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.